

राजस्थान सरकार  
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक:-4(23)वित्त/बीमा/1994 लूज

जयपुर दिनांक 27/4/26

—:आज्ञा:—

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50 के अन्तर्गत श्रीमती आराधना सक्सैना, उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, सवाईमाधोपुर को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 27.02.2026 में स्वास्थ्य कारणों के आधार पर दिनांक 27.05.2026 को मध्याह्न पश्चात् से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना सक्सैना के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

कृपया सिविल रिट 8734/2016 डॉ. प्रभात कांवरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य के संबंध में दिनांक 05.12.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

उक्त सेवानिवृत्ति बारकोड संख्या 322600201 दिनांक 22.404.2026 के द्वारा सक्षम स्तर से प्राप्त सहमति के अनुसरण में दी जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(धनलाल शेरवत)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक 366 दिनांक 10.04.2026 के क्रम में।
4. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव



27/4/26